

821941

IN THE COURT OF SPECIAL EXCLUSIVE EXCISE COURT NO. 2, JEHANABAD

Excise Case No:- 4267/26

State vs

Order

Remark

Date of
Order

12-08-26

Arrested Excise

सनहा सं०- 1856/26

धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम एवं संशोधित 2022 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ इसे अवलोकन बिध्या इसे पजोबद्ध कर।
सनहा के साथ अनुसधानकर्ता द्वारा प्रपत्र VI भी प्राप्त हुआ।

लेखापित

विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय,
जहानाबाद।

पश्चात्

12-08-26

अनुसधानकर्ता द्वारा गिरफ्तारी ज्ञाप, अग्रसारण प्रतिवेदन, चिकित्सीय जाँच प्रमाण-पत्र के साथ प्राथमिकी के नामित अभियुक्त **विजय कुमार यादव उम्र-46 वर्ष** पिता **स्व. राम लाल यादव साकिन 1 कुसरे महिया भाना - करपी जिला - भोजपुर**

को गिरफ्तार कर उचित मार्गरक्षक दल के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभियुक्त में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं की गई। अधिवक्ता नियुक्ति के सदर्थ में पूछे जाने पर अभियुक्त स्वयं व्यवस्था करने की बात कहते हैं। अभियुक्त द्वारा यह भी कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को है। अभियुक्त स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार करना चाहते हैं। अतः इस बिन्दु पर उचित आदेश पारित करने का निवेदन करते हैं।

अभियुक्त द्वारा किए गये उपरोक्त निवेदन के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के नियम 18 के अन्तर्गत समर्पण विहित प्रपत्र VI (क) में वर्णित तथ्यों को अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया एवं उक्त प्रपत्र को पढ़कर/ सुन व समझकर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से उस पर अपना हस्ताक्षर/ L.T.I. बनाया गया। समर्पण विहित प्रपत्र VI (क) में अभियुक्त द्वारा किए गए कथन के आलोक में इस न्यायालय द्वारा प्रपत्र VII में वर्णित कार्यवाही की गयी एवं अभियुक्त को धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाया गया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के कम में इनकी तरफ से निवेदन किया गया कि यह इनका प्रथम अपराध है एवं ये काफी गरीब हैं, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आदेश पारित किया जाए।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में उक्त नियमावली के नियम 18 (क) (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली 18 (3) के आलोक में यह न्यायालय इस दोष सिद्ध को धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराध हेतु 7500/- रु. अर्थदण्ड की सजा देती है एवं इस अर्थदण्ड की रशि अदा न कर पाने की स्थिति में दोषसिद्ध को 30 दिन कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

लेखापित

विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय,
जहानाबाद।

विजय कुमार यादव
12/8/2024

12-8-26

प्रत्येक अभिलेखार अभियुक्त की ओर से न्यायालय के एक रिक्त

82-1941

12-8-26

12-8-26

2100

सपना सुनाना की रीति
अभिलेखार से जमा किया गया, जिसकी रसीद / रसीद अभियुक्त को दिया गया
निकालने की रीति को दो अभिलेख के साथ संलग्न किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिलेख
के साथ दिया गया। न्यायिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में रखा करें

लेखापति

द्वितीय सपना न्यायालय द्वितीय,
सहायक।